माननीय आर. एस. मोंगिया, जे. के समक्ष

श्री के. एस. पंथ1 ऐन्ड ओइहर्ब,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ-उत्तरदाता।

***1991 की सिविल रिट* याचिका *संख्या* 17234।**

28 सितंबर, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226-केंद्रीय* रिजर्व *पुलिस बल अधिनियम, 1949 धारा 2 (सी) - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955* 2 (बी)-सेवानिवृत्ति-याचिकाकर्ताओं *को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया गया- 55 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यमुक्त करने का आदेश दिया - प्रतिनिधित्व* कि *वे 58 वर्ष तक बने रहने के हकदार थे क्योंकि वे केंद्र सरकार के 'समूह ए' पदों पर थे अस्वीकार - प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती दी गई- चाहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस* बल *में कमांडेंट (चयन ग्रेड) की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष हो या 55 वर्ष- अभिनिर्धारित किया गया कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) को 58 वर्ष तक सेवा में बने रहने का अधिकार है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्पष्ट होगा कि 'कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद एक साधारण कमांडेंट की तुलना में रैंक और स्थिति में एक उच्च पद था।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) केंद्र सरकार के तहत ग्रुप ए का पद है और ग्रुप ए पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है।

(पैरा 18)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *और* 227 *के तहत दीवानी, रिट याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले के रिकॉर्ड को उसी के अवलोकन के बाद भेजा जाए:—*

(i) *आदेश संलग्नक पी.ए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया है, और*

आदेश संलग्नक पी-2, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं *के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया है, को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करें।*

(ii) *प्रतिवादी को परमादेश देते हुए कि वे* याचिकाकर्ताओं *को वरिष्ठता, वेतन आदि के सभी परिणामी लाभों के साथ 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कमांडेंट चयन ग्रेड के रूप में सेवा में बने रहने की अनुमति दें।*

(iii) *कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो इस माननीय न्यायालय को मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त लगे;*

(iv) *अनुलग्नक पी-1 से पी-10 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए;*

(v) *प्रतिवादी को अग्रिम सूचना की सेवा से छूट दी जाए;*

(vi) *याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ता को दिया जाए*

यह अभी भी प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के विचाराधीनता रहने के दौरान सेवानिवृत्ति संलग्नक पी-4 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट चयन ग्रेड के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एच. एस. सेठी के *साथ अधिवक्ता पी.* एस. पटवालिया,

एस. के. पीपत, सीनियर स्टैंडिंग काउंसल डी. डी. शर्मा के साथ, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसल प्रतिवादीओं के लिए।

निर्णय

आर. एस. मोंगिया जे.

(1) कानून का जटिल प्रश्न जिसके लिए इस मामले में निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कमांडेंट (चयन ग्रेड) की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है या 55 वर्ष?

(2) उपर्युक्त प्रश्न निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न हुआ है:—

(3) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (संक्षेप में सी.आर.पी.एफ') का गठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के तहत किया गया है।अधिनियम की *धारा* 2 (सी) 'बल' को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अर्थ में परिभाषित करती है।अधिनियम की *धारा* 2 (डी) 'बल के सदस्य' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:—

> *"'बल के सदस्य' का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे कमांडेंट द्वारा बल में नियुक्त किया गया है, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, और धारा 1, 3, 6,7, 16, 17, 18 और 19 में केंद्र सरकार द्वारा बल में नियुक्त व्यक्ति भी शामिल है, चाहे ऐसी शुरुआत से पहले या बाद में।"*

(4) अधिनियम की धारा 3 और 4 'बल के संविधान' और 'वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों' के बारे में बात करती है।इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> *धारा 3 बल का संविधानः(1) केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा गया एक सशस्त्र बल बना रहेगा जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है।*
>
> *(2) बल का गठन इस तरह से किया जाएगा और बल के सदस्यों को ऐसा वेतन, पेंशन और अन्य पारिश्रमिक मिलेगा जो निर्धारित किया जाए।*
>
> *धारा 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियाँः—(1) केंद्र सरकार बल में एक कमांडेंट और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह सहायक कमांडेंट के रूप में किसी भी कंपनी के अधिकारी के रूप में नियुक्त करना उचित समझती है।*
>
> (2) *कमांडेंट और इस प्रकार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के पास ऐसी शक्तियाँ और अधिकार होंगे और वे उनका प्रयोग कर सकते हैं जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदान किए जाएं।*

धारा 18 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। *धारा* 18 (2) (ए) विशेष रूप से प्रदान करती है कि ऐसे नियम बल के सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रदान कर सकते हैं।

(5) अधिनियम की *धारा* 18 के तहत, केंद्र सरकार ने नियम बनाए, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (इसके बाद नियम कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है।नियमों के नियम 2 (बी) में 'कमांडेंट' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है बल में नियुक्त कमांडेंट।नियमों का नियम 5 बल की संरचना से संबंधित है और उक्त नियम के अनुसार सिंगल्स बटालियन के अलावा एक बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगेः

"(क) वरिष्ठ अधिकारी -

कमांडेंट	
सहायक कमांडेंट (सेकंड-इन-कमांड)	
सहायक कमांडेंट (एडजुटेंट)	
क्वार्टर मास्टर	
कंपनी कमांडर अधिकारी।	
प्रत्येक बटालियन के लिए एक।	प्रत्येक बटालियन के लिए एक।
	प्रत्येक बटालियन के लिए एक प्रति सेवा कंपनी प्लस के पास और प्रशिक्षण आरक्षित है।”

नियमों का नियम 5(2) केंद्र सरकार को बल की संरचना में ऐसे बदलाव करने की शक्ति देता है जैसा वह उचित समझे। उक्त उप-नियम निम्नलिखित शब्दों में हैः—

> *5(2) : धारा 4 में निहित प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार बल की संरचना में ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो वह उचित समझे।*

नियमों के नियम 6 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि नियम 5 में उल्लिखित सभी अधिकारियों और पुरुषों को बल का सदस्य माना जाएगा। नियमों का नियम 43 हमें बल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में बताता है। नियम 43 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया हैः—

> *"43. सेवानिवृत्तिः (क)-बल के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति उस महीने के अंतिम दिन दोपहर से प्रभावी होगी जिसमें ऐसा सदस्य 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।यदि बल के किसी सदस्य की जन्म तिथि महीने के पहले दिन आती है, तो उसकी सेवानिवृत्ति उस महीने से पहले महीने के अंतिम दिन दोपहर से प्रभावी होगी जिसमें बल का सदस्य 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।"*

दूसरा नियम जो इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, नियम 104 है जो विभिन्न पदों को वर्गीकृत करता है और इसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> *"104. वर्गीकरणः(1) जनरल सेंट्रल सर्विस, क्लास-I में कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट (सेकंड-इन-कमांड/एडजुटेंट) और कंपनी कमांडर/क्वार्टर मास्टर के पद शामिल होंगे।*
>
> *'2) केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच के प्राचार्य, उप-प्राचार्य और सहायक प्राचार्य के पद भी सामान्य केंद्रीय सेवा, कक्षा-1 में शामिल पद होंगे।"*

(6) सेवा कैरियर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के बजाये इस रिट याचिका, यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि 17 अक्टूबर, 1991 से पहले, सभी याचिकाकर्ता सी.आर.पी.एफ में कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 1 जनवरी 1992 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त की; जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 ने 31 अक्टूबर, 1991 को यह आयु प्राप्त की । यहां देखा जा सकता है कि सिविल पदों के अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 6 के तहत संघ को शुरू में वर्ग।

वर्ग II, वर्ग III और वर्ग IV के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, नवंबर, 1975 से इन्हें क्रमशः समूह ए, समूह बी, समूह सी और समूह डी पदों के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है।16 जुलाई, 1983 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सी.आर.पी.एफ में समूह 'ए' पदों के लिए संवर्ग समीक्षा के संबंध में एक पत्र जारी किया। इस पत्र को रिट याचिका के संलग्नक पी-5 के रूप में संलग्न किया गया है। प्रासंगिक उद्धरण नीचे उद्धृत किया गया हैः—

"विषयः सी.आर.पी.एफ समूह 'ए' पोस्ट के लिए कैडर समीक्षा

साहब,

भारत सरकार द्वारा सी.आर.पी.एफ में 'समूह' ए 'पदों के लिए संवर्ग समीक्षा प्रस्तावों की मंजूरी के परिणामस्वरूप, मुझे राष्ट्रपति की मंजूरी से इन लोगों को अवगत कराने का निर्देश दिया गया हैः—

1) *कमांडेंट के 20 पदों (1200-1700 रुपये और विशेष वेतन 100 रुपये) का उन्नयन, समूह-केंद्रों में 18 और केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों में 2 को अतिरिक्त D.I.G स्तर पर 1,800-100-2,000 रुपये के वेतनमान के साथ-साथ 100 रुपये का विशेष वेतन भी।*

(ii)----------

(iii) कमांडेंट/एडी के 73 पदों का सृजन, बटालियनों में 69 कमांडेंट और सी.आर.पी.एफ. महानिदेशालय में 4 एडी के पद, 1800 रुपये के चयन ग्रेड में. साधारण ग्रेड में कमांडेंट की मौजूदा ताकत के भीतर से।1,200-1,700 रुपये के वेतनमान के साथ-साथ 100 रुपये का विशेष वेतन भी । वर्तमान में स्वीकार्य विशेष वेतन और प्रतिपूरक भत्ते की मात्रा और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (उपरोक्त पद सी.आर.पी.एफ. में कमांडेंट/एडी के मौजूदा 73 सामान्य पदों के बदले में हैं)

(iv)----------

(v)----------

2) *उन्नयन/नव सृजित पद उस तारीख से अस्तित्व में आ जाएंगे जब (3) ये पहली बार में 29 फरवरी, 1984 तक भरे जाते हैं।अतिरिक्त डी. आई. जी./चयन ग्रेड कमांडेंट/विज्ञापन और सहायक कमांडेंट सेकंड-इन-कमांड के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता निम्नानुसार होगीः—*

(a) *केवल वे सी.आर.पी.एफ. अधिकारी जिन्होंने कम से कम छह साल की अवधि के लिए कमांडेंट के रूप में कार्य किया है और 18 साल की राजपत्रित सेवा भी पूरी की है, वे अतिरिक्त डी. आई. जी. के पद*

पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(b) *केवल वे कमांडेंट जिन्होंने राजपत्रित सेवा के 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे चयन श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।"*

(7) *29* अक्टूबर, 1987 को भेजे गए पत्र के माध्यम से, भारत सरकार ने लिखित बयान के साथ संवर्ग अधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत करने के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित किया।प्रासंगिक उद्धरण नीचे उद्धृत किया गया है:—

"भारत सरकार, गृह मंत्रालय।

तारीख:29 अक्टूबर, 1987।

को

महानिदेशक,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।

उप:—संवर्ग अधिकारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें।

साहब,

मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि कैडर अधिकारियों की विभिन्न रैंकों में पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करने के सवाल पर हाल ही में विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ये शर्तें

ये निम्नानुसार होंगे:—

पदोन्नति के लिए पात्रता	*पात्रता की शर्तें*
(1) *पुलिस उपाधीक्षक सहायक कमांडेंट से।*	*16 वर्ष समूह 'ए' सेवा जिसमें से कम से कम 2 वर्ष कमांडेंट (सामान्य श्रेणी) के रूप में होना चाहिए।*
(2) *सहायक कमांडेंट से सेकंड-इन-कमांड।*	
(3) *सेकंड-इन-कमांड से कमांडेंट (साधारण श्रेणी)*	
(4) *कमांडेंट (साधारण ग्रेड) से कमांडेंट (चयन ग्रेड)*	*18 साल की समूह 'ए' सेवा के साथ कमांडेंट (चयन ग्रेड) जिसमें से कम से कम 2 साल कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद पर होना चाहिए।*
(5) *कमांडेंट (चयन ग्रेड) से लेकर अतिरिक्त/डी. आई. जी. तक*	
(6) *अतिरिक्त डी. आई. जी. से डी. आई. जी. तक।*	

(8) याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर, 1991 को कार्यवाहक क्षमता में कमान (चयन श्रेणी) के पद पर पदोन्नत किया गया था।पदोन्नति के आदेश को संलग्नक पी-10 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः—

> *"यू/को। सरकार ने निम्नलिखित कमांडेंट (एन. जी. एस.) को कमांडेंट (एस. जी.) के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। 4,500-150-5700 प्रतिनियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक क्षमता में उन्हें उसी इकाई में बने रहने की अनुमति है।—*
>
> *उपरोक्त पदोन्नति उनके सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होने के अधीन है और उनके खिलाफ कोई डी. ई. लंबित नहीं है।वे मौजूदा आदेशों के अनुसार एक महीने के भीतर वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करेंगे।"*

(9) जबकि याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया था।अधिकारियों के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व कि वे 58 वर्ष की आयु तक बने रहने के हकदार थे, इस आधार पर कि वे केंद्र सरकार के समूह 'ए' पदों पर थे, जिसके लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, को भी खारिज कर दिया गया था।इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

(10) याचिकाकर्ताओं के लिए तत्कालीन विद्वान वकील ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केंद्र सरकार में समूह 'ए' के पदों पर आसीन सभी अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि कुछ समूह 'ए' पदों को नियमों के नियम 5 के तहत शामिल किया गया था, जो हमें बताता है कि बल का गठन क्या होगा, तो निश्चित रूप से भले ही ऐसे अधिकारी केंद्र सरकार के तहत समूह 'ए' अधिकारी हो सकते हैं, फिर भी वे नियमों के नियम 43 के तहत 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे, क्योंकि बल के सभी सदस्यों को उक्त नियम के तहत 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना है।विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद एक सामान्य कमांडेंट से अधिक ऊंचा पद है और बल के गठन में कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद को शामिल करने के लिए नियमों के नियम 5 में संशोधन नहीं किया गया था।तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कमांडेंट, (चयन ग्रेड), बल का सदस्य नहीं है और वह केंद्र सरकार के तहत समूह 'ए' का अधिकारी होने के नाते, 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक कमांडेंट, (चयन ग्रेड), एक कमांडेंट बना रहता है, और *इसलिए, वास्तव* में वह नियम 6 के साथ पठित नियम 5 के तहत बल का सदस्य है, और इस तरह नियमों के नियम 43 (ए) के तहत, कमांडेंट (चयन ग्रेड) एक कमांडेंट होने के नाते 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(12) पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट की तुलना में एक उच्च और विशिष्ट पद है।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो याचिकाकर्ताओं को सफल होना चाहिए।

(13) याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह साबित करने के लिए कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट की तुलना में एक उच्च और विशिष्ट पद है, आग्रह किया कि उपरोक्त निष्कर्ष पर आने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः—

(1) कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट की तुलना में अधिक वेतनमान में था और है।कमांडेंट का अपरिवर्तित वेतनमान रु1, 200-1,700 प्लस रु 100 विशेष वेतन के रूप में; जबकि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का वेतन रु।1, 800 फिक्स्ड प्लस रु 100 विशेष *वेतन।* इसे चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया था। 4, 100- 5,300 कमांडेंट के लिए और रु 4,500-5,700 कमांडेंट (चयन ग्रेड) के लिए

(2) दिनांक 16 जुलाई 1983 के आदेश द्वारा (जिसका संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है) 69 कमांडेंट (चयन ग्रेड) और 4 सहायक निदेशकों के पद, कमांडेंट की मौजूदा ताकत से बनाए गए थे और उक्त पद बदले में बनाए गए थे कमांडेंट/एडी के मौजूदा 73 सामान्य पदों में से। सी.आर.पी.एफ में ऐसा मामला नहीं था कि कमांडेंट की कुल संख्या में से, वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों के एक निश्चित प्रतिशत को उच्च वेतनमान मिलना था, जिसे 'चयन ग्रेड' के रूप में जाना जाता था।

(3) कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट के पद से एक पदोन्नति वाला पद था और इसलिए, रैंक और स्थिति में कमांडेंट की तुलना में

अधिक होना चाहिए। कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पदों का सृजन करने वाले 16 जुलाई, 1983 के पत्र (जिसका संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है) के पैरा 2 में कमांडेंट (चयन ग्रेड) *के पद पर* योग्यता नियुक्ति पदोन्नति का उल्लेख किया गया है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि

केवल वे सी.आर.पी.एफ कमांडेंट जिन्होंने राजपत्रित सेवा के 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं, चयन श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

यहां तक कि सरकार ने भी-29 अक्टूबर, 1987 के अपने संचार के माध्यम से, लिखित बयान के साथ संलग्नक आर-III (जिसका संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है) में संवर्ग अधिकारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों का उल्लेख किया है।इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह संचार विभिन्न रैंकों में पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि कमांडेंट और कमांडेंट (चयन ग्रेड) अलग-अलग रैंक थे।यह संचार इस बारे में बताता है कि कमांडेंट साधारण ग्रेड से कमांडेंट (चयन ग्रेड) और कमांडेंट (चयन ग्रेड) से अतिरिक्त डी. आई. जी. में पदोन्नति के लिए क्या पात्रता शर्तें हैं। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह पदानुक्रम है कि कमांडेंट के बाद कमांडेंट (चयन ग्रेड) और फिर अतिरिक्त डी. आई. जी. और डी. आई. जी. का पदोन्नति पद है। कमांडेंट और कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद समान नहीं हैं क्योंकि कमांडेंट के पद से ही किसी को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नति मिलती है और उसके बाद ही कमांडेंट (चयन ग्रेड) को डी.आई.जी. में पदोन्नति मिलती है। किसी भी कमांडेंट को सीधे डी. आई. जी. के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। यदि कमांडेंट और कमांडेंट (चयन ग्रेड) के दोनों पद समान थे, और समान रैंक और स्थिति के थे, तो दोनों को अतिरिक्त डी.आई.जी. के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होना चाहिए था।

(4) याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करने के आदेश में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट चयन ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नत किया गया था बशर्ते कि वे सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त हों और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित न हो।यदि विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह पदोन्नति नहीं थी, तो उनके सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होने और विभागीय-पूछताछ विचाराधीनता होने का सवाल ही नहीं उठता था।

(6) याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नत किया गया था।अगर यह सिर्फ एक अनुदान था

चयन श्रेणी, याचिकाकर्ताओं को कार्यवाहक आधार पर रखने का सवाल नहीं उठेगा, यह केवल एक विशेष पदोन्नति रैंक पर है कि एक व्यक्ति को कार्यवाहक आधार पर रखा जाता है।

(7) अतिरिक्त डी.आई.जी. का पद भी सृजित किया गया था, - पत्र दिनांक 16 जुलाई, 1983 द्वारा, जो एक समूह 'ए' पद है, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है - आदेश दिनांक 20 मार्च, 1984 द्वारा (रिट याचिका में अनुलग्नक 1-6)। इसे और स्पष्ट किया गया - दिनांक 17 जनवरी, 1984 के आदेश द्वारा कि अतिरिक्त डी.आई.जी. सी.आर.पी.एफ में अपने समूह केंद्रों के कमांडेंट होंगे और अधिनियम के तहत कमांडेंट में निहित कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेंगे। यदि कोई अतिरिक्त डी.आई.जी. एक कमांडेंट की शक्तियों का प्रयोग भी कर रहा था, कमांडेंट (चयन ग्रेड) की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष न होने का कोई कारण नहीं था, जो कमांडेंट की शक्तियों का भी प्रयोग करता था।

(14) उपरोक्त कारकों से, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस निष्कर्ष से कोई बचा नहीं है कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट के पद की तुलना में रैंक और स्थिति में अधिक था।इसके अलावा चूंकि बल के गठन से संबंधित नियमों के नियम 5 में कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद को शामिल करने के लिए संशोधन नहीं किया गया था, इसलिए कमांडेंट (चयन ग्रेड) बल का सदस्य नहीं था और नियमों के नियम 43 (ए) द्वारा शासित नहीं होगा, जो सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 55 वर्ष निर्धारित करता है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बल के गठन में कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद को शामिल करने के लिए नियमों के नियम 5 में संशोधन करना सरकार के लिए खुला था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।नतीजतन, कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद के लिए, जो केंद्र सरकार के तहत एक समूह ए पद है, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी।

(15) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 18 अप्रैल, 1991 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र (लिखित बयान के अनुलग्नक आर-6) में 'कमांडेंट' शीर्ष के तहत समूह ए पदों की दूसरी संवर्ग समीक्षा के संबंध में 140 पदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कमांडेंट सामान्य श्रेणी के साथ-साथ कमांडेंट (चयन श्रेणी) भी शामिल हैं।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इससे यह स्पष्ट था कि सामान्य ग्रेड के साथ-साथ चयन ग्रेड कमांडेंट को कमांडेंट माना जाता था।

श्री के. एस. पांधी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 159 (आर. एस. मोंगिया, जे.)

और, इसलिए, कमांडेंट (चयन ग्रेड) 'कमांडेंट' की परिभाषा के तहत आएगा और रूल्स के नियम 5 का हिस्सा होगा और इसके परिणामस्वरूप, नियम 43 (ए) के तहत 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(16) पार्टियों के वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं।विभिन्न कारकों से, जिन्हें ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, (यह स्पष्ट होगा कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद एक सामान्य कमांडेंट की तुलना में रैंक और स्थिति में एक उच्च पद था)।पदों का सृजन करने वाले पत्र के अलावा जहां यह उल्लेख किया गया था कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद के लिए पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना है, यह विशेष रूप से सरकार द्वारा ही निर्धारित किया गया था-दिनांक 29 अक्टूबर, 1987 (लिखित विवरण के साथ अनुलग्नक आर-III) के माध्यम से, कि कैडर अधिकारियों की विभिन्न रैंकों में पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं।उक्त पत्र में पदानुक्रम दिया गया है और यह केवल एक कमांडेंट है जिसे कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और फिर केवल कमांडेंट (चयन ग्रेड) को अतिरिक्त डी. आई. जी. के पद पर पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति हमेशा उच्च पद पर होनी चाहिए न कि समकक्ष पद पर।

(17) उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ताओं को कमांडेंट (चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करने के आदेश में उल्लेख किया गया है कि उन्हें पदोन्नत किया जा रहा था और कमांडेंट (चयन ग्रेड) के पदों पर कार्य करने के लिए बनाया जा रहा था।चयन श्रेणी का अनुदान कभी भी सतर्कता मंजूरी के अधीन नहीं होता है।केवल पदोन्नति सतर्कता द्वारा मंजूरी के अधीन की जा सकती है।यदि कमांडेंट और कमांडेंट (चयन ग्रेड) के दोनों पद एक ही रैंक और स्थिति के होते, तो दोनों अतिरिक्त डी. आई. जी. के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होते। हालाँकि, ऐसा नहीं है । यहां तक कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का वेतनमान भी सामान्य कमांडेंट से अधिक होता है। हालांकि यह विचार अपने आप में कुछ परिस्थितियों में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि उच्च वेतनमान वाला पद एक पदोन्नत पद है। केवल इसलिए कि 18 अप्रैल, 1991 के पत्र में कमांडेंटों की कुल संख्या (लिखित विवरण के साथ अनुलग्नक आर-VI) देते समय चयन ग्रेड और गैर-चुनाव ग्रेड कमांडेंटों को जोड़ा गया है, यह दिखाने के लिए नहीं जाएगा कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) एक सामान्य कमांडेंट की तुलना में रैंक और स्थिति में अधिक नहीं है।मेरा विचार है कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद कमांडेंट की तुलना में एक उच्च और विशिष्ट पद है।

(18) इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि कमांडेंट (चयन ग्रेड) का पद केंद्र सरकार के तहत ग्रुप ए का पद है और ग्रुप 'ए' पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है।

पूर्वगामी कारणों से, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।याचिकाकर्ताओं को तुरंत कमांडेंट (चयन श्रेणी) के रूप में सेवा में वापस ले लिया जाना चाहिए और माना जाएगा कि वे सेवानिवृत्त होने की तारीख से उस पद पर सेवा में बने हुए हैं।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे उससे प्राप्त होने वाले सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम,हरियाणा